छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर
जिला–रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 4365/एफ–1–124/31/एस–2/2019, अटल नगर, दिनांक 11/10/2019

प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **राजनांदगांव जिले के विकासखण्ड–छुईखदान की सिद्धबाबा जलाशय योजना के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।**

संदर्भ :– प्र.अ.का पत्र क्र. 271/बो.प्र./प्रशा.स्वी./2019/12236, दिनांक 27.09.2019.

राज्य शासन एतद् द्वारा वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक–258/ 799/वित्त/ नियम/चार/2005, दिनांक 27.08.2007 द्वारा जारी वित्त निर्देश 34/2007 में निहित वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–2 में कार्य विभागों को प्रत्यायोजित अधिकारों के अनुक्रमांक–79 (i) का उपयोग करते हुए, राजनांदगांव जिले के विकासखण्ड–छुईखदान की सिद्धबाबा जलाशय योजना के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य की लागत राशि रू. 132.99 लाख (रू. एक करोड़ बत्तीस लाख निन्यानवे हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण–पत्र शासन को दिया जावे ।
3. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–एक के नियम–10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
4. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या–45 जल संसाधन विभाग, लेखा शीर्ष–4702 लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}, सतही जल 0101 राज्य आयोजना (सामान्य), (3803) लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाएं, #97–निर्माण कार्य 003 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
5. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
6. सर्वेक्षण कार्य शासन हित में नियमानुसार मितव्ययता के साथ सुनिश्चित किया जाए।
7. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता सर्वेक्षण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।
8. आवश्यक Survey/DPR Draft Stage पर संबंधित अधिकारी एवं प्रमुख अभियंता के समक्ष बिन्दुवार विचार विमर्श के पश्चात् ही Final Survey Report तैयार किया जावे।
9. Scope of Work तकनीकी एवं आवश्यकता की दृष्टि से पर्याप्त प्रावधानित हो।
10. सर्वेक्षण को उच्च कोटि की तकनीक के साथ किया जाना सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

11/10/19
(याकुब खेस्स)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

...2

\\dell2\E\D.2-WRD 2017\AARAA.199.docx

पृ.क्र. 4366 / एफ–1–124 / 31 / एस–2 / 2019, अटल नगर, दिनांक 11 / 10 / 2019

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर ।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. प्रमुख सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर ।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–17, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.–एम 4–22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन शिवनाथ मंडल, दुर्ग।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15. आदेश फोल्डर।

11/10/19

संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

\\dell2\E\D 2-WRD 2017\AARAA.199.docx